न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–04 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1.धेवरचन्द पुत्र केवाराम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार	
2.प्रेमकुमार पुत्र केवाराम	पचपदरा	
3.मोहनलाल पुत्र केवाराम		
4.हस्तीमल पुत्र केवाराम		
जाति माली निवासी बालोतरा		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता,वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 19.7.2023

1. संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा बालोतरा नपाक्षै. तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1084,1085,1123 व 1124 कुल क्षेत्रफल 6.9429 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के हक पूर्वाधिकारियों व बाद में वादीगण का 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा समय समय पर राजस्व रेकर्ड खसरान गिरदावरी में कब्जा काश्त की प्रविष्टियां दर्ज होती आ रही है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज है,किन्तु नाम की प्रविष्टियों के साथ गेर खातेदार दर्ज है,जो विगत 50 वर्षो से दर्ज होता आ रहा है,जिसके कारण वादीगण को किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है और न ही वादीगण वादग्रस्त भूमि का आपसी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहमति के आधार पर बंटवाड़ा करा पा रहे है। जिसके कारण वादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इस कारण वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि में वादीगण के नाम के पीछे गैर खातेदार शब्द को हटाकर वादीगण की खातेदारी धोषित करवानें हेतु वाद पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया। प्रतिवादी तहसीलदार पचपदरा को जबाव पेश करने के पर्याप्ततम अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया तथा नियत पेशी तारीख दिनांक 16.6.2023 व 21.6.2023 को उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु एक अन्तिमः अवसर दिए जाने हेतु अवसर चाहा गया,जो न्यायहित अवसर प्रदान किया गया था। उसके उपरांत पेशी तारीख दिनांक 30.6.23 व 07.7.2023 को भी न्यायिक द्रष्टिकोण अपनातें हुए जवाब पेश करने हेतु एक ओर अन्तिमतम अवसर प्रदान किया गया था। लेकिन 06 माह से अधिक समय लिए जाने कें उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया तथा निर्धारित तारीख पेशी तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादी का जवाब बन्द होने के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं रही। वादी साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–01 हस्तीमल द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी.01–ग्राम बालोतरा न.पा.क्षे.जमाबंदी संवत 2079–2082 प्रति, ई.एक्सा.पी.02–प्रतिवादी पक्ष को कानूनी नोटिस प्रति,ई.एक्स.पी.03 व 04–कानूनी नोटिस भिजवानें की रजिस्ट्रर्ड रसीद प्रतिया,ई.एक्सा.पी.05--वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी संवत 2070–2073 प्रति, ई.एक्स.पी.06–वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी संवत 2066–69 प्रति,ई.एक्स. पी07–वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी संवत 2062--2065 प्रति, ई.एक्स.पी.08–वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी संवत 2058–61 प्रति,ई.एक्स.पी.09–वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी संवत 2074–2077 प्रति,ई.एक्सा.पी.10–वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान प्रमाणित प्रति,जिसकी फोटोप्रति ईएक्सा.पी. 10 ए है। ई.एक्सा.पी.11–लगान रसीद जिल्द 610,जिसकी फोटोप्रति ई.एक्स.पी.11 ए है। ई. एक्सा.पी.12–लगान रसीद संख्या 663,जिसकी फोटोप्रति 12 ए हैं। ई.एक्स.पी.13 व ई.एक्सा.पी.

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

[illegible]

[illegible] अतिक्रमण [illegible] भूमि [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] की [illegible] प्रक्रिया [illegible] की जा रही है। राज्य सरकार [illegible] पर [illegible] की अतिक्रमण एवं अतिक्रमण के [illegible] पूर्वाधिकारी से प्राप्त किया, [illegible] अतिक्रमण का नाम भी दर्ज है,किन्तु नाम की प्रक्रिया के साथ [illegible] दर्ज है,जो [illegible] वर्षों से दर्ज होता रहा है,क्योंकि उक्त भूमि का निष्पादन [illegible] की [illegible] में अतिक्रमण के [illegible] पूर्वाधिकारी द्वारा जमा कराया किया गया,अतिक्रमण के [illegible] पूर्वाधिकारी का [illegible] पर अतिक्रमण के नाम [illegible] की प्रक्रिया दर्ज अंकित की गई,उक्त भूमियों की [illegible] है,उक्त भूमियां प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियां में नहीं आती है,जिसके के [illegible] आवंटन/निष्पादन होने के 3 वर्ष पश्चात [illegible] के [illegible] पर [illegible] की प्रक्रिया [illegible] में अंकित करने का कर्तव्य संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों का है,किन्तु अतिक्रमण के नाम दर्ज नहीं उक्त भूमियों के संबंध में [illegible] भी नहीं किया गया,इस कारण अतिक्रमण [illegible] उक्त भूमि के संबंध में सरकार [illegible] का [illegible] भी नहीं [illegible] सकता है,और न [illegible] कोई [illegible] [illegible] से [illegible] सकते है,यही [illegible] अतिक्रमण का [illegible] एवं अतिक्रमण प्रतिवादी [illegible] से [illegible] की प्रक्रिया अंकित करने का अनुरोध किया,किन्तु [illegible] द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। [illegible] से ऐसा निवेदन

[illegible]

करने एवं आवश्यक दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध करवायी जाने के बावजूद भी खातेदार दर्ज करने की कोई कार्यवाही नहीं की,जिस पर प्रतिवादी राजस्थान राज्य के प्रतिनिधियों को जरीये पंजीकृत डाक दिनांक 18.10.2022 को अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया, जो नोटिस राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि, भूमिधारक प्रतिवादी को प्राप्त हुआ। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर तर्क दिए कि राजस्थान राज्य के प्रतिनिधियों को उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद नोटिस की स्टेच्यूटरी समयावधि समाप्त होने के बावजुद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की,उल्टा दिनांक 24.12.2022 को प्रतिवादी भूमिधारक के अधिनस्थ राजस्व कर्मचारी द्वारा वादीगण को धमकी दी की, उनके नाम गैर खातेदारी प्रविष्टियां अंकित हैं,को हटा कर खाता सं.01 में भूमि दर्ज कर देगें और वादीगण को मौके से बेदखल कर देंगे, जबकि ऐसा करने का कोई अधिकार प्रतिवादी या उनके मातहत राजस्व कर्मचारियों को नहीं है,जिससे वादीगण के साम्पतिक विधिक अधिकारों पर संशय का आवरण व्याप्त हो गया। कि यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया जाता हैं,तो वादीगण अपने विधिक स्वामित्व,टाईटल,कब्जा की भूमि से वंचित हो जायेंगे,जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी,जिसका मूल्यांकन मुद्रा या अर्थ में करना संभव भी नहीं हैं,मौके पर वादीगण का नियमित कब्जा काश्त है,इस बाबत् खसरा गिरदावरी की प्रविष्टियां अंकित हुई एवं समय समय पर अदा की गई लगान की राशि जो भूमिधारक से नियमित प्रिविटी ऑफ कान्टेक्ट होने का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत है,तथा विरासत का म्यूटेशन वादीगण के नाम तत्समय में पारित हुआ,के आधार पर वादीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियां गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करवाने के अधिकारी हैं,उपरोक्त अनुतोष का वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया हैं। कि वाद हेतुक वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध वादग्रस्त भूमियों विगत 50 वर्षो से वादीगण एवं वादीगण के हक पूर्वाधिकारियों के कब्जा काश्त की होने व रहने,मौके पर पक्के रहवासीय ठॉव बनाये हुए होने तथा समय समय पर काश्त होने की प्रविष्टियां राजस्व रेकर्ड गिरदावरी में दर्ज होने, जमाबंदी में संवत् 2024 यानि विगत 50 वर्षो से गैर खातेदार शब्द अंकित होने,नियमन शुल्क एवं अन्य लगान की अदायगी वादीगण,वादीगण के हक पूर्वाधिकारियों द्वारा भूमिधारक को अदा करने,राजस्व रेकर्ड में दर्ज

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गैर खातेदार की प्रविष्टियों से खातेदार की प्रविष्टिया अंकित करने का लिखित निवेदन भूमि धारक प्रतिवादी से करने के बावजूद सुधार की प्रविष्टियां दर्ज नहीं करने,वादीगण द्वारा लिखित स्टेच्यूटरी नोटिस दिनांक 18.10.2022 को देने उक्त समयावधि पूर्ण होने के बावजूद भी गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने के सम्बन्ध में कोई कानूनी चाराजोई नहीं करने,उल्टा दिनांक 24.12.2022 को राजस्व कर्मचारी द्वारा वादीगण को बेदखली की धमकी देने पर बालोतरा में उत्पन्न हुआ, जो अभी भी विधमान हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए अन्तः में निवेदन किया कि कृषि भूमियां खसरा संख्या 1084 रकबा 1.0370 हैक्टर, खसरा संख्या 1085 रकबा 3.3766 हैक्टर, खसरा संख्या 1123 रकबा 0.8220 हैक्टर, खसरा संख्या 1124 रकबा 1.7073 हैक्टर,कुल रकबा 6.9429 हैक्टर मौजा बालोतरा प्रथम के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादीगण के नाम के पीछे गैर खातेदार शब्द को हटा कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे,इस आशंय का रेकर्ड में अमल दरामद का आदेश भूमिधारक प्रतिनिधि तहसीलदार पचपदरा को प्रदान किया जावें।

5.**हमनें** वकील वादीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बालोतरा न.पा.क्षे. तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1084,1085,1123 व 1124 कुल क्षेत्रफल 6.9429 हैक्टयर भूमि में वादीगण का नाम इन्द्राज है और वादीगण के नाम के पीछे गैर खातेदार इन्द्राज है,जो प्रदर्श–01 के अवलोकन से स्पष्ट है। जबकि प्रदर्श–10 अवलोकन से स्पष्ट है,कि वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान खाता नम्बर 463 में नाम कृषक केवाराम पुत्र हीराराम कौम माली सा.देह गैर खातेदार इन्द्राज है। इससे स्पष्ट है कि 50 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि वादीगण की गैर खातेदारी में इन्द्राज होती आ रही है, जबकि वादग्रस्त भूमि वादीगण के हक पूर्वाधिकारीयों को नियमन के तहत प्राप्त हुई है। प्रदर्श–11 से 14 नियमन शुल्क रसीदे के अवलोकन से स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रदर्श–05 से 09 गिरदावरी संवत 2058 से 2077 तक वादीगण की गैर खातेदार इन्द्राज होती आ रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 50 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि वादीगण की गैर खातेदारी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होती आ रहा है। **जबकि**

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वर्तमान प्रकरण में वादीगण को भूमि नियमन के जरीयें प्राप्त हुए है,जब खातेदार को भूमि नियमन के जरीये प्राप्त होती है,तो उसे गैर खातेदार दर्ज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि बतौर खातेदार प्रविष्टिया अंकित की जानी थी,**यदि** भूमि आवंटित होती तो 03 वर्ष पश्चात भूमिधारी तहसीलदार को खातेदारी इन्द्राज रेकर्ड में कर लेना चाहिए था,लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसी नहीं होने के कारण वादीगण विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से पीडा भोग रहे है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के नाम के पीछे गैर खातेदार शब्द अंकन होने के कारण वादीगण को किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल सकता है और न ही बंटवाड़ा करवा सकते है। जबकि उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर वादीगण गेर खातेदार के स्थान पर खातेदारी इन्द्राज करवानें के हकदार है। प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी अपनी ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया और निर्धारित तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पंहुची है कि वादीगण अपना वाद स्वीकार करवानें में सफल रहा है।

6.लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बालोतरा नपाक्षै. तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1084 क्षेत्रफल 1.0370 हैक्टयर,खसरा संख्या 1085 क्षेत्रफल 03.3766 हैक्टयर,खसरा संख्या 1123 क्षेत्रफल 0.8220 हैक्टयर व खसरा संख्या 1124 क्षेत्रफल 1.7073 हैक्टयर कुल क्षेत्रफल 06.9429 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में वादीगण के नाम के पीछे गैर खातेदार शब्द को विलोपित कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार खातेदारी की प्रविष्टिया अंकित कर रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 19.7.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:--श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

अन्वान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.धेवरचन्द पुत्र केवाराम		
2.प्रेमकुमार पुत्र केवाराम		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
3.मोहनलाल पुत्र केवाराम		
4.हस्तीमल पुत्र केवाराम		
जाति माली निवासी बालोतरा		

राजस्व वाद बाबत:--88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 04 / 2023

निर्णय दिनांक :--19.7.2023

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 19.7.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:--वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बालोतरा नपाक्षे. तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1084 क्षेत्रफल 1.0370 हैक्टयर,खसरा संख्या 1085 क्षेत्रफल 03.3766 हैक्टयर,खसरा संख्या 1123 क्षेत्रफल 0.8220 हैक्टयर व खसरा संख्या 1124 क्षेत्रफल 1.7073 हैक्टयर कुल क्षेत्रफल 06.9429 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में वादीगण के नाम के पीछे गैर खातेदार शब्द को विलोपित कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार खातेदारी की प्रविष्टिया अंकित कर रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 19.7.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रुपया	प्रतिवादीगण	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रुपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	——
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	---	5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	--	जोड	——

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा